आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा

बिहार भूमि विवाद निराकरण अपील वाद सं0–237/2013

ददन तिवारी एवं अन्य

बनाम

भयामजी तिवारी एवं अन्य

आदेश

2.5.15 प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सीवान सदर द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–132/240/2012–13 में दिनांक 26.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गई है।

संक्षेप में इस वाद का तथ्य यह है कि श्यामजी तिवारी बगैरह, जो कि वर्त्तमान अपील में विपक्षीगण है, द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिवान सदर के समक्ष एक वाद दायर करते हुए यह अनुतोष की मांग की गई कि परिशिष्ट नं0–1 की भूमि के संदर्भ में अधिकारों का प्रख्यापन आवेदकगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण को परिशिष्ट सं0–1 को भूमि पर किसी भी तरह का व्यवधान, अतिक्रमण एवं अनावश्यक हस्तक्षेप करने से रोका जाये। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा संबंधित पक्षों को सुन कर यह पाते हुए कि आवेदकगण का विवादित जमीन पर हकियत दखली भूमि का दावा अधिक प्रबल है इसमें किसी भी प्रकार का विपक्षीगण का मोजाहिमत करना कानून वैध नहीं है वाद को स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्त्ता द्वारा अपील आवेदन दायर किया है ।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया कि यह वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष पोषणीय ही नहीं था क्योंकि वर्त्तमान विपक्षीगण द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में अधिकार का प्रख्यापन के बिन्दु पर वाद दायर की गई थी जिसमें अधिकार के प्रख्यापन का जटिल प्रश्न् सन्निहित है और जिसका अधिनिर्णायण करने की अधिकारिता भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को कानून प्राप्त भी नहीं है। इन्होंने आगे तर्क दिया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को इस प्रकार के जटिल प्रश्नों का निर्णय न कर संबंधित पक्षों को सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जानी चाहिए थी परन्तु उनके द्वारा ऐसा न कर विपक्षीगण के पक्ष में वाद को स्वीकुत किया गया है जो कि अवैधानिक, अनुचित और त्रुटिपूर्ण है इसलिए आपेक्षित आदेश खारीज योग्य है।

दूसरी ओर विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए इसे कानूनन सही एवं स्वीकार्य बताया गया। इनके द्वारा आगे कहा गया कि अपीलार्थीगण द्वारा विवादि भूमि पर गलत कारणों से अधिकार एवं दखल–कब्जा का दावा किया जा रहा है जो कि सिर्फ इस आधार पर है कि खतियान में दर्ज सम्पत तिवारी उनके पूर्वज है जबकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा बिल्कुल सही पाया गया है कि खतियानी रैयत सम्पत तिवारी नहीं है बल्कि सभापति तिवारी है। इनका आगे कहना है कि अपीलार्थी का यह दावा की विवादित भू–खण्ड पर उनका नाद, खूँटा एवं पलानी है सरासर गलत है क्योकि उक्त विवादित भू–खण्ड पर इनका न तो कोई दखल–कब्जा है और न ही इनके पास कोई पट्टा इत्यादि ही है। इसलिए अपीलार्थी का यह अपील आवेदन खारिज योग्य है।

वाद के तथ्यों, परिस्थियों, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अपने–अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दलीलों के विचारण से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर संबंधित पक्षों के बीच अधिकार के प्रख्यापन एवं दखल कब्जा को लेकर विवाद है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि वर्त्तमान विपक्षीगण द्वारा भी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष इन्ही बिन्दुओं पर अनुतोष प्राप्ति हेतु वाद दायर की गई थी। चूँकि उभय पक्षों के बीच जहाँ तक विवादित विषय का प्रश्न है तो यह पूर्णतः स्पस्ट है कि यह अधिकारों के प्रख्यापण में अधिनिर्णायन का जटिल प्रश्न निहित् है जिसका निपटारा करने की शक्ति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्राप्त नहीं है जिसके कारण प्रथम दृष्टया यह वाद उनके समक्ष पोषणीय ही नहीं था परन्तु इसकी अनदेखी करते हुए इन्होने वाद को स्वीकृत किया है जो कि इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहाँ तक कि बिहार भूमि सुधार विवाद निराकरण अधिनियम–2009 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वैसे मामले जिसमें संबंधित पक्षों के बीच अधिकारों के प्रख्यापण जैसे मामले का जाटिल प्रश्न सन्निहित है वैसे मामले के संबंधित पक्षों को व्यवहार न्यायालय के समक्ष मामला दायर करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जानी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी हाल के दिनों में अनेकों मामले में इसी आशय का विचार व्यक्त किया है।

अतः उपरोक्त वर्णित कारणों से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिवान सदर का आक्षेपित आदेश विखंडित करते हुए अपीलवाद का निस्तार किया जाना है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा

2.5.15

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा